

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य
(MSP) को वैध बनाने पर पररचर्चा

www.nextias.com

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैध बनाने पर परिचर्चा

संदर्भ

- हाल के वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के वैधीकरण पर परिचर्चा तीव्र हो गई है। हालाँकि इस कदम के पीछे किसानों की आय को सुरक्षित रखना है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण आर्थिक, तार्किक और प्रणालीगत जोखिम हैं।
 - सूचित नीति निर्माण के लिए इसके लाभों और कमियों का संतुलित मूल्यांकन महत्वपूर्ण है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध

- **परिभाषा:** MSP किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करके कीमतों में तीव्र गिरावट से बचाने के लिए एक सरकारी नीति है।
- **कार्यान्वयन:** कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर विशिष्ट फसलों के लिए बुवाई के मौसम के प्रारंभ में घोषित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** आय एवं खाद्य सुरक्षा, उत्पादन को प्रोत्साहित करना और बाजार स्थिरता सुनिश्चित करना।

ऐतिहासिक संदर्भ

- **1960 का दशक:** कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए खाद्यान्न की कमी के दौरान MSP की शुरुआत की गई थी।
- **के. झा समिति:** किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए MSP का समर्थन किया।
- **विकास:**
 - प्रारंभ में इसका ध्यान गेहूँ और चावल पर था, लेकिन अब इसमें अनाज, दालें, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों सहित 23 फसलें शामिल हैं।
 - गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए विशेष प्रावधान 2009 में उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) प्रणाली में विकसित हुए।

MSP को वैध बनाने के विरुद्ध तर्क

- **राजकोषीय अस्थिरता:** एक सार्वभौमिक MSP-समर्थित खरीद प्रणाली की लागत वार्षिक 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है, जिससे भारत की राजकोषीय क्षमता पर दबाव पड़ेगा।
 - वर्तमान MSP खरीद केवल गेहूँ और चावल तक सीमित है, और इसे सभी फसलों तक विस्तारित करना अस्थिर होगा।
- **बाजार विकृतियाँ:** अधिक उत्पादन: किसान उच्च-MSP फसलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे धान जैसी जल-गहन फसलों की अधिकता और दालों जैसी आवश्यक फसलों की कमी हो सकती है।
- **अकुशल संसाधन उपयोग:** जल-संकट वाले क्षेत्रों में जल-गहन खेती को बढ़ावा मिलता है।
- **भंडारण और बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ:** अतिरिक्त उत्पादन को संभालने के लिए अपर्याप्त भंडारण क्षमता, जिससे बर्बादी होती है।
 - परिवहन, भंडारण और वितरण में रसद संबंधी बाधाएँ, विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए।

- **अकुशलता को बढ़ावा:** गारंटीकृत खरीद किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने या उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाने से रोक सकती है।
 - वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी।
- **मुद्रास्फीति का दबाव:** सरकारी खरीद की उच्च लागत से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका कम आय वाले परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **प्रशासनिक जटिलताएँ:** लाखों किसानों के लिए खरीद का प्रबंधन करने से अकुशलता, भ्रष्टाचार और देरी हो सकती है।
 - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के साथ विगत अनुभव लीकेज और परिचालन चुनौतियों के जोखिम को प्रकट करते हैं।
- **व्यापार पर प्रभाव:** MSP-संचालित निर्यात वैश्विक बाजारों में अप्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, जिससे कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कम हो सकती है।
- **राज्य नीति में बदलाव:** संविधान के अंतर्गत कृषि एक राज्य विषय है, और राज्य-विशिष्ट नीतियाँ सभी के लिए एक ही आकार के MSP दृष्टिकोण को अव्यावहारिक बनाती हैं।

MSP को वैध बनाने के पक्ष में तर्क

- **वित्तीय सुरक्षा:** किसानों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करता है, उन्हें बाजार की अस्थिरता से बचाता है।
- **जोखिम कवरेज:** जलवायु परिवर्तन, कीटों के हमलों और फसल रोगों जैसे जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा जाल प्रदान करता है।
- **फसल विविधीकरण:** दालों और बाजरा जैसी कम जल की खपत वाली फसलों को MSP के अंतर्गत सम्मिलित करने से सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिल सकता है।
- **बाजार स्थिरीकरण:** MSP एक बेंचमार्क मूल्य के रूप में कार्य करता है, शोषणकारी प्रथाओं को हतोत्साहित करता है और किसानों के लिए उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करता है।

वैकल्पिक उपाय

- **फसल विविधीकरण को मजबूत करना:** कुछ फसलों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए सतत फसल पैटर्न को बढ़ावा देना।
- **फसल बीमा का विस्तार:** मूल्य जोखिम और जलवायु आघातों को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के दायरे को व्यापक बनाना।
- **बुनियादी ढाँचे में निवेश:** कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कुशल परिवहन नेटवर्क और कटाई के बाद प्रसंस्करण इकाइयाँ विकसित करना।
- **अनुबंध खेती को प्रोत्साहित करना:** बेहतर बाजार संपर्क और गारंटीकृत रिटर्न के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **कृषि प्रथाओं का आधुनिकीकरण:** उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण और सब्सिडी प्रदान करना।

निष्कर्ष

- MSP को वैध बनाने का उद्देश्य किसानों का कल्याण बढ़ाना है, लेकिन इसके संभावित आर्थिक और प्रणालीगत नतीजों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। बुनियादी ढाँचे, विविधीकरण और बाज़ार दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक व्यापक सुधार रणनीति अधिक सतत दृष्टिकोण है। MSP को वैध बनाने से अल्पकालिक राहत मिल सकती है, लेकिन कृषि और अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास को हानि पहुँच सकती है।

Source: IE



दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. दशकों से कृषि नीति की आधारशिला होने के बावजूद, भारत में MSP को वैध बनाने के विरुद्ध तर्कों का विश्लेषण कीजिए, बाजार विकृतियों, राजकोषीय निहितार्थों और कृषि विकास में बाधा उत्पन्न करने की इसकी क्षमता पर इसके प्रभाव पर विचार कीजिए।

